07 April 2022

Important News: India

1. गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, संसद की एक स्थायी समिति ने गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास कार्यक्रम के कामकाज की आलोचना की है।
- भाजपा की लोकसभा सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 31वीं रिपोर्ट संसद में पेश की।
- रिपोर्ट में कहा गया है, "समिति इस बात पर ध्यान देने के लिए विवश है कि DNT समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका की सुविधा और DNT के सदस्यों के लिए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए कुल 200 करोड़ रुपये का परिव्यय है और विभाग 2021-22 में एक रुपया भी खर्च नहीं कर सका।

प्रमुख बिंदु

गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति:

- ये ऐसे समुदाय हैं जो सबसे कमजोर और वंचित हैं।
- गैर-अधिसूचित जनजाति (DNT) ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 से शुरू होने वाले कानूनों की एक श्रृंखला के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया गया था।
- खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।

गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए आयोग (NCDNT):

- तत्कालीन सरकार द्वारा 2006 में गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (NCDNT) के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता बालकृष्ण सिदराम रेनके ने की और जून 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा, “यह विडंबना है कि ये जनजातियाँ किसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं के ध्यान

से बच गईं और इस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विपरीत संवैधानिक समर्थन से वंचित हो गईं।"

- रेनके आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर उनकी आबादी लगभग 10.74 करोड़ होने का अनुमान लगाया था।
- राज्यवार सूची तैयार करने के लिए फरवरी 2014 में गठित एक नया आयोग, जिसने 8 जनवरी, 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ने 1,262 समुदायों को गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू के रूप में पहचाना।
- जबकि इनमें से कई जनजातियों को SC, ST और OBC के तहत वर्गीकृत किया गया है, कई नहीं हैं।
- संसद में स्थायी समिति की रिपोर्ट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव के एक बयान का हवाला दिया गया है कि 269 DNT समुदाय किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।

गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC) के बारे में:

- सरकार ने कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (DWBDNC) के लिए विकास और कल्याण बोर्ड की स्थापना की।
- DWBDNC का गठन 21 फरवरी, 2019 को भीकू रामजी इदते की अध्यक्षता में किया गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

2. सरकार ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों लगाने के लिए पांच नई साइटों के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पांच नई साइटों के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- सरकार ने फ्लीट मोड में स्थापित किए जाने वाले 10 स्वदेशी 700 मेगावाट दबाव वाले भारी पानी रिएक्टर PHWR) के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
- निर्माणाधीन और स्वीकृत परियोजनाओं के उत्तरोत्तर पूर्ण होने पर, **2031 तक परमाणु क्षमता 22480 मेगावाट** तक पहुंचने की उम्मीद है।
- वर्तमान में 6780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर प्रचालन में हैं और एक रिएक्टर, KAPP-3 (700 मेगावाट) को 10 जनवरी, 2021 को ग्रिड से जोड़ा गया है।

नोट:

- घरेलू संरक्षित परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को स्वदेशी रूप से खनन और उत्पादित यूरेनियम द्वारा पूरा किया जाता है।
- इसके अलावा, परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए अंतर सरकारी समझौते वाले देशों से प्राकृतिक यूरेनियम अयस्क सांद्रता (UOC) की खरीद की जा रही है।
- रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कनाडा से परमाणु ईंधन हासिल करने के प्रयास किए गए हैं।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

3. डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत ने **'डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी (DGCs) परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम' (GDPMS)** लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- DGC डिजिटल डैशबोर्ड लोगों-नदी को जोड़ने में एक लंबा सफर तय करेगा और **नमामि गंगे कार्यक्रम** की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जिला गंगा समितियों के बारे में:

- गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रबंधन और प्रदूषण उपशमन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक तंत्र स्थापित करने के लिए गंगा नदी बेसिन पर जिलों में जिला गंगा समितियों का गठन किया गया था।
- DGC को नमामि गंगे के तहत बनाई गई संपत्ति का उचित उपयोग सुनिश्चित करने, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले नालों / सीवेज की निगरानी, गंगा कायाकल्प के साथ लोगों के मजबूत संबंध बनाने के लिए अनिवार्य है।

स्रोत: PIB

Important News: Economy

4. मुक्त व्यापार समझौते (FTA)

चर्चा में क्यों?

- अब तक, भारत ने अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ 13 मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 3 समझौते शामिल हैं, अर्थात् भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (CECPA), भारत-UAE व्यापक भागीदारी समझौता (CEPA) और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (IndAus ECTA) पर पिछले पांच वर्षों के दौरान हस्ताक्षर किए गए।
- यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा हाल ही में लोकसभा में दी गई।

प्रमुख बिंदु

- समय-समय पर डेटा विश्लेषण और हितधारक परामर्श दोनों के संदर्भ में किए गए FTA के आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन से पता चला है कि FTA भागीदारों के साथ निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि हुई है।

भारत द्वारा हस्ताक्षरित FTA की सूची:

SN	समझौते का नाम
1	भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
2	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) पर समझौता (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान)
3	भारत-नेपाल व्यापार संधि
4	व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता
5	भारत-थाईलैंड FTA - अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS)
6	भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)
7	भारत - ASEAN CECA - माल, सेवाओं और निवेश समझौते में व्यापार (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)
8	भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)
9	भारत-जापान CEPA
10	भारत-मलेशिया CEPA

11	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA)
12	भारत-UAE CEPA
13	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)

स्रोत: PIB

Important News: State

5. नदियों के पानी और SYL नहर को लेकर पंजाब-हरियाणा विवाद

चर्चा में क्यों?

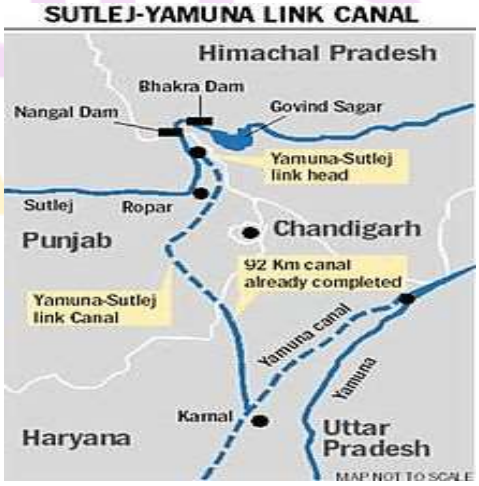

- हरियाणा विधानसभा ने **सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर** को पूरा करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें हरियाणा और पंजाब के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवादास्पद मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

नदी का पानी:

- एक बार पूरा हो जाने के बाद, नहर दोनों राज्यों के बीच रावी और ब्यास नदियों के पानी को साझा करने में सक्षम होगी। यह मामला 1966 में पंजाब के पुनर्गठन और हरियाणा के गठन के समय का है। पंजाब ने रिपेरियन सिद्धांतों का हवाला देते हुए दो नदियों के पानी को हरियाणा के साथ साझा करने का विरोध किया था।

शेयर:

- हरियाणा के गठन से एक दशक पहले, रावी और ब्यास में बहने वाले पानी का आकलन प्रति वर्ष 15.85 मिलियन एकड़ फीट (MAF) किया गया था। केंद्र सरकार ने 1955 में तीन

हितधारकों - राजस्थान, अविभाजित पंजाब और जम्मू और कश्मीर के बीच एक बैठक आयोजित की थी और राजस्थान को प्रति वर्ष 8 MAF, अविभाजित पंजाब को 7.20 MAF और जम्मू-कश्मीर को 0.65 MAF आवंटित किया था।

नहर:

- 8 अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला जिले के कपूरी गांव में एक शिलान्यास समारोह के साथ SYL नहर के निर्माण का शुभारंभ किया था। 214 किमी के एक हिस्से का निर्माण किया जाना था, जिसमें से 122 किमी पंजाब को पार करना था और 92 किमी हरियाणा में।

पंजाब का तर्क:

- राज्य सरकार के एक अध्ययन के अनुसार, 2029 के बाद पंजाब में कई क्षेत्र सूख सकते हैं। राज्य ने पहले ही सिंचाई के लिए अपने भूजल का अत्यधिक दोहन किया है क्योंकि यह हर साल 70,000 करोड़ रुपये के गेहूं और धान उगाकर केंद्र के अन्न भंडार को भरता है।

हरियाणा का दावा:

- हरियाणा SYL नहर के माध्यम से रावी-ब्यास के पानी पर दावा करता रहा है कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना राज्य के लिए एक कठिन काम है। दक्षिणी हिस्सों में जहां भूमिगत जल 1700 फीट तक कम हो गया था, वहां पीने के पानी की समस्या थी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Important News: Defence

6. भारत-किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण समाप्त

चर्चा में क्यों?

- भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण 06 अप्रैल 2022 को समाप्त हो गया। यह संयुक्त अभ्यास विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल, बकलोह (हिमाचल प्रदेश) में 25 मार्च 2022 को शुरू हुआ था।

प्रमुख बिंदु

- पिछले दो हफ्तों में, भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के टुकड़ियों ने संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में मौजूदा और आकस्मिक खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।
- भाग लेने वाले विशेष बलों की टुकड़ियों के बीच विशेष कौशल और तकनीकों को साझा करने के अलावा, संयुक्त प्रशिक्षण ने भारत और किर्गिस्तान के बीच मौजूदा बंधन को और मजबूत किया है जिसने रणनीतिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता के लिए पारस्परिक सम्मान के वर्षों को बढ़ावा दिया है।

किर्गिस्तान के बारे में तथ्य:

- **राजधानी:** बिश्केक
- **अध्यक्ष:** सदिर जापरोव
- **मुद्रा:** किर्गिस्तान सोम

स्रोत: PIB

Important News: Science

7. ICMR-NIV के वैज्ञानिकों ने दक्षिण भारत के 51 चमगादड़ों के नमूनों में निपाह के खिलाफ IgG एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाया

चर्चा में क्यों?

- पुणे के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी से पकड़े गए 51 चमगादड़ों में **निपाह वायरस संक्रमण (NiV)** के खिलाफ IgG एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम थे।

प्रमुख बिंदु

- निपाह वायरस (NiV) महामारी की संभावना वाले प्राथमिकता वाले रोगजनकों में से एक है। हालांकि प्रसार SARS-CoV-2 की तुलना में बहुत धीमा है, लेकिन मामले में मृत्यु सबसे बड़ी चिंता है।

- 1998-1999 में मलेशिया में गंभीर एन्सेफलाइटिस के प्रकोप के दौरान NiV के साथ पहले मानव संक्रमण की पहचान की गई थी।
- विभिन्न प्रकोपों के दौरान पशु-से-मानव और मानव-से-मानव संचरण दोनों को प्रलेखित किया गया है।
- 1998-2018 के दौरान मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, सिंगापुर और फिलीपींस से निपाह वायरस संक्रमण के 700 से अधिक मानव मामले सामने आए।

एंटीबॉडी:

- एंटीबॉडी, जिसे इम्युनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो एक बाह्य पदार्थ की उपस्थिति की प्रतिक्रिया में प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे एंटीजन कहा जाता है, द्वारा निर्मित होता है।
- पदार्थों की एक विस्तृत शृंखला को शरीर द्वारा एंटीजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीव और विषाक्त पदार्थ शामिल हैं।
- एंटीबॉडी शरीर से निकालने के लिये एंटीजन की पहचान कर उन पर हमला करते हैं।

विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी:

- IgG, IgM, IgA, IgD, IgE

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Important News: Appointment

8. नेपाल में राजदूत, विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया

चर्चा में क्यों?

- नेपाल में राजदूत, विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे, जो अप्रैल के अंत में सेवानिवृत्त होंगे।
- वह मार्च 2020 से नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं।

- विनय मोहन क्वात्रा, जो 32 वर्षों से अधिक समय से विदेश सेवा में हैं, ने फ्रांस में राजदूत के रूप में भी कार्य किया है।

स्रोत: HT

Important Days

9. 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य दिवस 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय 'हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य' है।

इतिहास:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 1948 में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा बुलाई, जिसमें "विश्व स्वास्थ्य दिवस" की स्थापना का आह्वान किया गया।
- पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को आयोजित किया गया था, और उसके बाद हर साल उस तारीख को मनाया जाता है।

स्रोत: इंडिया टुडे